



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 भाद्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 445) पटना, वृहस्पतिवार, 30 अगस्त 2012

---

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-11/2012/लेज: 383—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 16, 2012]

**बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012**

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-** (1) यह अधिनियम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।  
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।  
 (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।
2. **बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-12 में संशोधन।-** धारा-12 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तैंतीस (33)" एवं "तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तिरसठ (63)" एवं "साठ (60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
3. **बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-13 में संशोधन।-** धारा-13 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तैंतीस (33)", एवं, " तीस (30)" शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तिरसठ (63)" एवं "साठ (60)" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-11/2012/लेजः 384—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा Dated 27th August 2012 को अनुमत बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

**[Bihar Act 16, 2012]****The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2012**

AN

ACT

To amend the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23, 2011).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement** . – (1) This Act may be called The Bihar Land Mutation (Amendment) Act, 2012.
  - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.
2. **Amendment in Section-12 of the Bihar Land Mutation Act, 2011** . – In Sub-Section (2) of Section-12, the words, brackets and figures "**thirty-three (33)**" and "**thirty (30)**" shall be substituted by the words, brackets and figures "**sixty-three (63)**" and "**sixty (60)**" respectively.
3. **Amendment in Section-13 of the Bihar Land Mutation Act, 2011**. – In Sub-Section (2) of Section-13, the words, brackets and figures "**thirty-three (33)**" and "**thirty (30)**" shall be substituted by the words, brackets and figures "**sixty-three (63)**" and "**sixty (60)**" respectively.

By order of the Governor of Bihar,  
VINOD KUMAR SINHA,  
*Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 445-571+400-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>